



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



टेलिफैक्स
Telefax +91-135-2744064, 2743331
वेबसाइट
Website www.surveyofindia.gov.in
ई-मेल
E-Mail sgo soi@gov.in
sgo technical soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
Office of the Surveyor General of India
हाथीबड़कला एस्टेट, डाक बक्स सं. 37
Hathibarkala Estate, Post Box No. 37
देहरादून - 248 001 (उत्तराखण्ड), भारत
DEHRADUN - 248 001 (UTTARAKHAND), INDIA

ई-मेल द्वारा

सं० त - 2744 / 983-प्रिंटिंग (आधुनिकरण) / संग्रह 2

दिनांक 13 मई 2015

सेवा में,

निदेशक,

तमिलनाडू, पुडुच्चेरी, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, चेन्नै।

विषय – PVC कार्ड वाले पहचान पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना।

संदर्भ – आपका पत्र सं० C-462 / 17-D (ICMS) दिनांक 8 मई 2015

विभिन्न कारणों से PVC कार्ड वाले पहचान पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के संबंध में आपके द्वारा मांगे गए दिशा-निर्देश निम्नवत प्रस्तुत हैं –

- (1) **खोने / चोरी होने की स्थिति में** - पुलिस को की गई शिकायत (FIR) की प्रति सहित, ₹ 100/- भारत सरकार के कोष में जमा कराने उपरांत, पूर्व में जारी पहचान पत्र की द्वितीय प्रति, पहचान पत्र सं० पूर्ववत रखते हुए उसके आगे लाल रंग में "[D]" अंकित कर (i.e. 2036 [D]) जारी किया जाए।
- (2) **कार्ड टूटने की स्थिति में** - ₹ 50/- भारत सरकार के कोष में जमा कराने उपरांत, पूर्व में जारी पहचान पत्र की द्वितीय प्रति, पहचान पत्र सं० पूर्ववत रखते हुए जारी किया जाए। लेकिन कार्ड-धारक को जारी करने से पूर्व टूटा हुआ पहचान पत्र जारी-कर्ता द्वारा नष्ट किया जाए।
- (3) **कार्ड पर वर्णित सूचनाओं में परिवर्तन की स्थिति में** – पदनाम, कार्यालय, मोबाइल, आवास आदि सूचनाओं में परिवर्तन के कारण पूर्व में जारी पहचान पत्र की द्वितीय प्रति, पहचान पत्र सं० पूर्ववत रखते हुए निशुल्क जारी किया जाए। लेकिन कार्ड-धारक को जारी करने से पूर्व पुराना पहचान पत्र जारी-कर्ता द्वारा नष्ट किया जाए।

उपरोक्त आदेश भविष्य में बनने वाले Pensioner ID Card तथा Dispensary Card पर भी समान रूप से लागू होंगे।

(महेश चन्द्र गौड़)

अधीक्षक सर्वेक्षक,

कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि – समस्त Zone / GDC / Dte / Ptg Gps को ई-मेल द्वारा प्रेषित।